

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	<p>100/2021</p> <p>आज्ञा विस्तृत रूप से</p> <p>प्राथमिकता</p>
	<p>16/12-21</p> <p>23/12/21</p> <p>06/12/21</p> <p>25/12/21</p>	<p>फार एसेसिमेंटेशन टाउ न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया गत आदेश की प्रतीति के दिनांक 23/12-21 को पेश हो,</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) के पत्रावली पत्रे हुई। उपरोक्त आदेशों से 1 लाख 30 हजार रुपये स्ट्रोक केट-सी गणपत लाल पंसादी उपा / वास्तु के हित लवाह प्राथमिकता दिनांक 06/12/21 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रतीति रहेगा।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) के पत्रावली पत्रे हुई। उपरोक्त आदेशों से 1 लाख 30 हजार रुपये स्ट्रोक केट-सी गणपत लाल पंसादी उपा / वास्तु के हित लवाह प्राथमिकता दिनांक 06/12/21 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रतीति रहेगा।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) के पत्रावली पत्रे हुई। उपरोक्त आदेशों से 1 लाख 30 हजार रुपये स्ट्रोक केट-सी गणपत लाल पंसादी उपा / वास्तु के हित लवाह प्राथमिकता दिनांक 06/12/21 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रतीति रहेगा।</p>

UT
10/12/21
25/12/21



फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पायालय

राज-सकल

बनाम

रवैरानी मल कोरडे

कदमा संख्या / वर्ष

100/2021

: प्रार्थनापत्र

/20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>अपनी निम्न खालेदारी भूमि को एक पंजीयन उपयोग उपयोग व भूमि संपरिवर्तन करने से परेशानी ले रही है। अतः उक्त मुकदमे से अस्थायी निषेधाज्ञा को हटाया जावे ताकि प्रतिकारी / अप्रार्थी को अपनी निम्न खालेदारी का उपयोग उपयोग कर सके। इस प्रकार से राज्य सरकार को कोई हानि होना कारित नहीं होता है।</p> <p>हमने वकील अप्रार्थी की बहल व जवाब व पत्रावली का अध्ययन किया। जिससे प्रकरण से प्रथम हृष्ट्या माघला शामिल नहीं होता है तथा सुविधा अनुभव अप्रार्थी के पक्ष में बनता है तथा इससे प्रार्थी को कोई अपूरणीय हानि कारित नहीं होती है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनार लेकर दायित्व दफ्तार से न्यासे कम लेवे।</p>	<p>राज-सकल 6/11/22</p>



उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)